



अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ GST 2.0

परलमिस् के लिये: [वस्तु एवं सेवा कर \(GST\)](#), [अनुच्छेद 279A](#), [मूल्य-योजति कर](#)

मेन्स के लिये: भारत में GST का विकास और महत्त्व, वृद्धि एवं विकास

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

56वीं [वस्तु एवं सेवा कर \(GST\) परिषद](#) ने कर व्यवस्था को नागरिक-केंद्रित बनाने, कृषि, स्वास्थ्य, वननिर्माण को बढ़ावा देने और व्यवसाय को आसान बनाने हेतु अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ **GST 2.0** का अनावरण किया।

- सेवाओं पर GST दरों में किये गए परिवर्तन **22 सितंबर 2025** से प्रभावी होंगे।

GST 2.0 के अंतर्गत प्रमुख कर सुधार क्या हैं?

- **सरलीकृत GST संरचना:** GST 2.0 चार GST स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को दो-स्लैब प्रणाली (आवश्यक वस्तुओं के लिये **5% (मेरिट दर)** और अन्य के लिये **18% (मानक दर)**) के साथ प्रतिस्थापित करता है, साथ ही तंबाकू व पान मसाला जैसी वलासी, हानिकारक और अवगुण वस्तुओं के लिये **40% डमिरिट दर** भी शामिल है।
- **आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत:** व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर पूर्ण **GST छूट**। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं पर अब **शून्य GST** लगेगा।
- **उपभोक्ता वस्तुएँ:** छोटी कारों, टीवी, एयर कंडीशनर, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर GST **28% से घटाकर 18% कर दिया गया है**। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
 - इन कटौतियों से वननिर्माण को प्रोत्साहन मिलने, हरति ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा मिलने तथा घरेलू मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरण:** **33 जीवन रक्षक दवाओं पर GST 12% से घटाकर शून्य** कर दिया गया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली तीन महत्वपूर्ण दवाओं पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच मज़बूत हुई है।
- **कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सहायता:** ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंपोस्टर जैसी मशीनरी: GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।
 - उर्वरक इनपुट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया: GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।
 - हस्तशिल्प, संगमरमर और चमड़े की वस्तुओं जैसी **श्रम-प्रधान वस्तुओं** पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- **व्यापार सुविधा और विवाद समाधान:** वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) दिसंबर 2025 तक चालू हो जाएगा।
 - रफिंड और पंजीकरण के लिये प्रक्रियागत सुधारों से विवाद समाधान में सुधार होगा, मुकदमेबाजी में कमी आएगी तथा व्यवसायों, विशेषकर MSME के लिये पूर्वानुमानशीलता उपलब्ध होगी।

Historic Diwali Gift for the Nation

NEXT-GEN GST REFORM

for Ease of Living & to build *Aatmanirbhar Bharat*

From farmers to enterprises, from households to businesses,
the Next-Gen GST brings happiness for all!

Save Big on Daily Essentials

Items	From	To
Hair Oil, Shampoo, Toothpaste, Toilet Soap Bar, Tooth Brushes, Shaving Cream	18%	5%
Butter, Ghee, Cheese & Dairy Spreads	12%	5%
Pre-packaged Namkeens, Bhujia & Mixtures	12%	5%
Utensils	12%	5%
Feeding Bottles, Napkins for Babies & Clinical Diapers	12%	5%
Sewing Machines & Parts	12%	5%

Uplifting Farmers & Agriculture

Items	From	To
Tractor Tyres & Parts	18%	5%
Tractors	12%	5%
Specified Bio-Pesticides, Micro-Nutrients	12%	5%
Drip Irrigation System & Sprinklers	12%	5%
Agricultural, Horticultural or Forestry Machines for Soil Preparation, Cultivation, Harvesting & Threshing	12%	5%

Relief in Healthcare Sector

Items	From	To
Individual Health & Life Insurance	18%	Nil
Thermometer	18%	5%
Medical Grade Oxygen	12%	5%
All Diagnostic Kits & Reagents	12%	5%
Glucometer & Test Strips	12%	5%
Corrective Spectacles	12%	5%

Automobiles made affordable

Items	From	To
Petrol & Petrol Hybrid, LPG, CNG Cars (not exceeding - 1200 cc & 4000mm)	28%	18%
Diesel & Diesel Hybrid Cars (not exceeding - 1500 cc & 4000mm)	28%	18%
3 Wheeled Vehicles	28%	18%
Motor Cycles (350 cc & below)	28%	18%
Motor Vehicles for transport of goods	28%	18%

Affordable Education

Items	From	To
Maps, Charts & Globes	12%	Nil
Pencils, Sharpeners, Crayons & Pastels	12%	Nil
Exercise Books & Notebooks	12%	Nil
Eraser	5%	Nil

Save on Electronic Appliances

Items	From	To
Air Conditioners	28%	18%
Television (above 32") (including LED & LCD TVs)	28%	18%
Monitors & Projectors	28%	18%
Dish Washing Machines	28%	18%

PROCESS REFORMS

Registration

- Automatic registration within 3 working days for applicants:
- Identified by the system based on data analysis
 - Who determines that he would not pass Input Tax Credit exceeding ₹2.5 Lakh per month and opts for the Scheme

Refund

- Sanction of Provisional Refunds by proper officer, through system based risk evaluation for:
- Zero Rated Supplies
 - Supplies with Inverted Duty Structure



The next generation of GST reforms are a gift for every Indian this Diwali. Taxes for the general public will be reduced substantially. Our MSMEs & small entrepreneurs will get huge benefit. Everyday items will become cheaper and this will also give a new boost to the economy.

Narendra Modi
Prime Minister

Next-Gen GST - Better & Simpler !

Please visit CBIC website 'www.cbic.gov.in' for detailed information

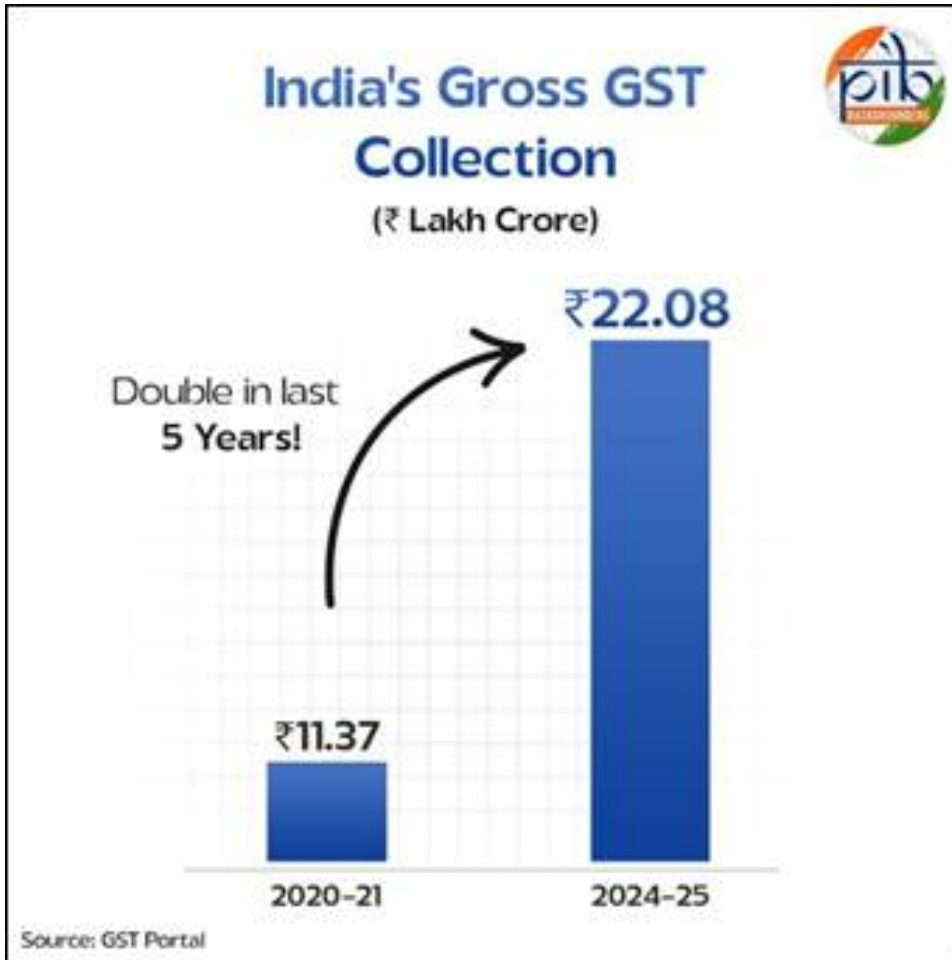
वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- परिचय: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2017 द्वारा प्रस्तुत यह भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है।
 - यह एक मूल्य-योजित कर (VAT) है जिसने केंद्र और राज्यों द्वारा पहले लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है।



- मुख्य विशेषताएँ:
 - दोहरी GST संरचना: इसमें केंद्रीय GST (CGST) और राज्य GST (SGST) शामिल हैं। एकीकृत GST (IGST) अंतरराज्यीय लेनदेन के लिये लागू है।
 - GST परिषद: यह GST नीतिनिर्धारण और कर दरों के फैसलों के लिये प्रमुख निकाय है
 - संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित GST परिषद, केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
 - इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, इसमें राजस्व/वित्त राज्य मंत्री सदस्य होते हैं तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त, कराधान या अन्य संबंधित मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
 - वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN): भारत में करदाताओं को रटिर्न तैयार करने, दाखल करने, अप्रत्यक्ष कर देनदारियों का भुगतान करने और अन्य अनुपालनों को पूरा करने में सहायता करता है।
 - सीमांत छूट (Threshold Exemption): जिन छोटे व्यवसायों का वार्षिक कारोबार एक निश्चित सीमा से कम है, उन्हें GST से छूट दी गई है। इससे अनुपालन सरल हो जाता है और सूक्ष्म उद्यमों को अत्यधिक कागज़ी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है।
- GST के लाभ:
 - गंतव्य-आधारित कर (Destination-Based Tax): कर वस्तुओं/सेवाओं के उपभोग स्थान पर वसूला जाता है, जिससे व्यवसायों को बेहतर नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी का लाभ मिलता है।
 - व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business): प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली, न्यूनतम मानव हस्तक्षेप, अनुपालन, रफिंड और पंजीकरण को सरल बनाती है।
 - मेक इन इंडिया को बढ़ावा (Boost to Make in India): घरेलू वस्तुओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है।

- **नरियात (Exports):** वशिष आरथकि कषेतर (SEZ) को वसुतुओं या सेवाओं या दोनों की आपूरुतको GST के तहत शून्य-दर (Zero-rated) माना जाता है, जसिसे शीघ्र रफिंड मलिता है। यह अंतर्राष्टरीय व्यापार को बढावा देता है और भुगतान संतुलन में सुधार करता है।
- **& Compliance:** Expands tax base, increases government revenue, improves transparency, and enhances GDP by 1.5–2%. **राजस्व एवं अनुपालन (Revenue & Compliance):** कर आधार का वसितार करता है, सरकारी राजस्व बढाता है, पारदर्शति में सुधार करता है और GDP को 1.5–2% तक बढाता है।
- **GST की उपलब्धि:** वर्ष 2024–25 में GST ने अब तक का सबसे अधिक सकल संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ दर्ज किया, जो 9.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। औसत मासिक संग्रह ₹1.84 लाख करोड़ रहा।



प्रश्न. भारत के अपरत्यक्ष कर ढाँचे को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने में GST के महत्त्व की जाँच कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. नमिनलखिति मदों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. छलिका उतरे हुए अनाज
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपरयुक्त मदों में से कौन-सी वसुतु/वसुतुएँ जीएसटी (वसुतु एवं सेवा कर) के अंतरगत छूट प्राप्ति है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स/GST)' के क्रयान्वति किये जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किये जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापित करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे संक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद् रूप से बढ़ाएगा और उसे नजिक भविष्य में चीन से आगे निकलने में संक्षम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 3. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति नधिको प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020)

प्रश्न 4. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति नधिको प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020)

प्रश्न 5. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति नधिको प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020)



PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gst-2-0-with-next-generation-reforms>